

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/26/53.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/26/27 दिनांक 23-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला बालोद में विद्यमान 69 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 50 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला बालोद के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/26/26 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला बालोद की समितियों के पुनर्गठन हेतु 25 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 30-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 द्वारा 09 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 16 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/26/27 दिनांक 23-08-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला बालोद में विद्यमान 69 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 53 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बन्धित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची - एक

क्रं.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या. गुण्डरदेही	खल्लारी	सेवा सहकारी समिति मर्या.कलंगपुर

अनुसूची - दो

क्रं.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या., बेलमांड	सेवा सहकारी समिति मर्या., परसोदा	परसोदा, सोहतरा, चिचबोड, अंगारी
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. अरमरीकला	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहारा	मोहारा, पड़कीभाट, ओझागहन, जेवरतला, मुड़पार,
3	सेवा सहकारी समिति मर्या., बासीन	सेवा सहकारी समिति मर्या., खुंदनी	नरबदा, सरबदा, खुंदनी, खोरदो, अकलवारा
4	सेवा सहकारी समिति मर्या. पलारी	सेवा सहकारी समिति मर्या. अरकार	अरकार, डोटोपार, हसदा
5	सेवा सहकारी समिति मर्या. कंवर	सेवा सहकारी समिति मर्या. फागुनदाह	फागुनदाह, उसरवारा, पेण्डरवानी, पेरपार
6	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. कुआगोंदी	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. गुदुम	पुसावड़
	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. डौण्डी		गुदुम, अवारी, मरकाटोला, पैवारी
7	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. डौण्डी	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. कोटागांव	कोटागांव, आडेझर, मलकुंवर, नलकसा, कोपेड़े रा, हिडकापार, तुएदण्ड, कुमुडकटटा
8	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. भरीटोला	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. आमाडुला	आमाडुला, किसनपुरी, मथेना, चिहरो, काकडकसा साल्हे, पुतरवही
9	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. घोटिया	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. मंगलतराई	मंगलतराई, बेलोदा, गोदुलमुड़ा, अरजगुन्डरा, केसोपुर, मरामखेड़ा, सिधौला, कजेली, परसबिहरी, खुर्सीटिकुर, परकालकसा, आमाबाहरा
10	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. कुमुमकसा	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. गुजरा	गुजरा, भैसबोड़, सुवरबोड़, जमही, अडजाल, खल्लारी, दानीटोला, बनगांव, बोरीद
		आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. चिखलाकसा	बिटाल, हितकसा, जाबुड़वाही, झरनदल्ली, धोबेदण्ड, झिकाटोला, कोण्डेकसा, पथराटोला, कुरुभाट धोबनी (अ), पुतरवही, खम्हारटोला, चिखलकसा
11	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. डौण्डी लोहारा	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. सम्बलपुर	सम्बलपुर, कोटेरा, रायपुरा, सेमरडीह
12	सेवा सहकारी समिति मर्या कोचेरा	सेवा सहकारी समिति मर्या भीमकन्हार	भीमकन्हार, मुड़खुसरा
13	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. देवरी	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. फरदफोड	फरदफोड, झिटिया,
	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. जेवरतला		किसना, रानीतराई (कि)
14		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या भरदा (ट)	भरदा (ट), औरी, टटेगा, हरदी, कसही

15	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. खेरथा	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. रानाखुज्जी	रानाखुज्जी, मडवापथरा, भरनाभाट, आलिवारा, डुमरघुचा
		आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. संजारी	संजारी, धुमादाह, गंजईडीह, बर्रापरा, बेंदरचुवा
16	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या.सुरेगांव	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. भालुकोन्हा	भालुकोन्हा, कठिया, बीजाभाठा, पिनकापार, केंवटनवागांव, सिंगारपुर
			हड़गहन
17	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या.अहि.नवागांव	सेवा सहकारी समिति मर्या. घीना	घीना,
18	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या.पिनकापार	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. मनकी	मनकी, साल्हे, राघोनवागांव, रीवागहन, कुआगांव, गणेशखपरी
19	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या.भंवरमरा	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. कोडेकसा	कोडेकसा, केरीजुगेंरा, बरडीह, चिखली, झीकाटोला, खडबत्तर, ढुटामाटरी, पीपरखार ख
20	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या.मंगचुवा	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. कमकापार	कमकापार, कुरुभाट, टेकापर, पिडीयाल, हितापठार, सुंदरनगर, मुड़पाड़, तुयेगोंदी
		आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. करेगांव	करेगांव, हुच्चेटोला, कुदारी,दल्ली
21	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. रेंगाडबरी	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. खैरकटटा	खैरकटटा, पुनारकसा, अर्जुनी, भीमपुरी, दुर्गीटोला, बंजारी
22	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या.चिल्हाटी	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. दुधली	दुधली, बनगांव, रेंघई, खपरी, कलकसा
23	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या.पापरा	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. कोबा	कोबा, खैरा, कुम्हालोरी
24	सेवा सहकारी समिति मर्या. भरदाकला	सेवा सहकारी समिति मर्या.सिब्दी	सिब्दी, बुढानपुर, टेकापार, जेवरतला, बरबसपुर
25	सेवा सहकारी समिति मर्या., रजोली	सेवा सहकारी समिति मर्या मोखा (रजोली)	मोखा,(रजोली) परसदा, कुथरेल, कुम्हली
26	सेवा सहकारी समिति मर्या. कलंगपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या., पेण्डी	फुण्डा
			पेण्डी, भटगांव,
27	सेवा सहकारी समिति मर्या. कसौंदा	सेवा सहकारी समिति मर्या., तवेरा	टेकापार,रूदा,
28	सेवा सहकारी समिति मर्या. कचांदुर		तवेरा
29	सेवा सहकारी समिति मर्या. भाठागांव आर		मचौद,
			किलेपार 01, किलेपार (झोफरा)
		सेवा सहकारी समिति मर्या. रनचिराई	रनचिराई, परसाही
30	सेवा सहकारी समिति मर्या., कोडेवा	सेवा सहकारी समिति मर्या., परसतराई	परसतराई, परना, परसवानी, बोरगहन

		सेवा सहकारी समिति मर्या. कोटगांव	झीका, खपरी
31	सेवा सहकारी समिति मर्या. कांदुल	सेवा सहकारी समिति मर्या चन्दनबिरही	कोटगांव, रेहची, खेरुद, चन्दनबिरही ,नवागांव ,सनौद
32	सेवा सहकारी समिति मर्या. पिरीद	सेवा सहकारी समिति मर्या.कुरदी	कुरदी, चौरेल, डुण्डेरा, नवागांव, लासाटोला, बासीन
33	सेवा सहकारी समिति मर्या. ओडारसकरी	सेवा सहकारी समिति मर्या.भिलाई	भिलाई, तिलखेरी, गोरकापार, चीचा,
34	सेवा सहकारी समिति मर्या. ,खप्परवाडा	सेवा सहकारी समिति मर्या. ,गुरेदा	डगनिया, नाहंदा, गुरेदा
35	सेवा सहकारी समिति मर्या., सिकोसा	सेवा सहकारी समिति मर्या. पिनकापार (सिकोसा)	ईरागुड़ा, दनिया सरखा, खपरी ब, भोथीपार पिनकापार (सिकोसा)
36	सेवा सहकारी समिति मर्या.,पैरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. भाठागांव बी	भाठागांव बी ,मोगरी, बिरतरा
37	सेवा सहकारी समिति मर्या माहुद बी	सेवा सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर	बरबसपुर ,बोरगहन,
38	सेवा सहकारी समिति मर्या हल्दी		कजराबांधा, चाराचार
39	सेवा सहकारी समिति मर्या बेलौदी	सेवा सहकारी समिति मर्या. सतमरा	सतमरा ,सियनमरा
40	सेवा सहकारी समिति मर्या खुरसुनी	सेवा सहकारी समिति मर्या गोडेला	गोडेला, खुर्सीपार, देवसरा

अनुसूची – तीन

क्रं.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र से जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	सेवा सहकारी समिति मर्या.,बालोद	खैरतराई	सेवा सहकारी समिति मर्या. पाररास	—
		मेंड़की ,बघमरा ,ओरमा ,खरथुली	—	सेवा सहकारी समिति मर्या., मेंड़की
	सेवा सहकारी समिति मर्या., पाररास	भोथली तरौद,मनौद,खुर्सीपार, खेरथाडीह, अमलीडीह, दैहान	—	सेवा सहकारी समिति मर्या.,तरौद
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मुडिया	,परसाडीह (सु)	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या.भण्डेरा	—
		आलिखुटा, परसाडीह (ज)	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अछोली
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. भण्डेरा	अछोली,कापसी,परसुली, सोरली,खैरीडीह	—	—
		पसौद	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या.देवरी	—

4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नाहंदा	बोईरडीह	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या.जेवरतला	—
		,मुजगहन, मुडखुसरा, सिराभाठा, चे.ब. नवागांव	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चे. ब. नवागांव
5	सेवा सहकारी समिति मर्या.सिरी	पांगरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. गोरकापार	
		राहुद मुण्डरा	—	सेवा सहकारी समिति मर्या.राहुद
	सेवा सहकारी समिति मर्या., गोरकापार	बेलटिकरी	—	
6	सेवा सहकारी समिति मर्या धनोरा	रमतारा	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. घोघोपुरी
	सेवा सहकारी समिति मर्या धनेली	घोघोपुरी ,पेंवरो	—	
		दर्दा ,दियाबाती	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. दर्दा
	सेवा सहकारी समिति मर्या. गुरुर	खर्दा ,दुबचेरा	—	
		तार्दी	सेवा सहकारी समिति मर्या. धनोरा	—
		कनेरी	—	सेवा सहकारी समिति मर्या.कनेरी
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. ,मिरीटोला	भेजामैदानी,नवागांव	—	
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. ,मोखा	डोकला,कुलिया,	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. हितेकसा
		हितेकसा,मंगचुवा,रूपूटोला, नगझर, गोटाटोला, बडभूम,पेटेचुवा,जंगलीभेजा, नगबेलडीह, दुग्गाबाहरा,नारागांव,	—	
7	सेवा सहकारी सहकारी समिति मर्या.सोरर	सुरा	—	सेवा सहकारी समिति मर्या.सुरा
	सेवा सहकारी समिति मर्या., धनेली	भानपुरी	—	
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. ,मिरीटोला	कोचवाही, अलोरी, कंकालिन, करेझर, ओनाकोना, मुसकेरा, भैसमुंडी, पोंड, मुजालगोंदी	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कोचवाही